महिलाओं के कानूनी अधिकार

एक विशेष मार्गदर्शिका

भारतीय कानून के अंतर्गत महिलाओं के कानूनी अधिकारों और पंचायतों की भूमिका को समझना।

Transform Rural India

अनुक्रमणिका

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	04
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	08
महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986	13
प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	17
विशेष विवाह अधिनियम, 1954	21
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005	24
महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	30
भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	35

प्रस्तावना

महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा किसी भी समाज के विकास और प्रगति के लिए मूलभूत हैं। भारत में, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। हालांकि, इन कानूनों की प्रभावशीलता अक्सर जागरुकता और उचित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सूचना और कानूनी संसाधनों तक पहुँच सीमित हो सकती है।

यह पुस्तिका, महिलाओं के कानूनी अधिकार, इस अंतराल को कम करने के लिए निर्मित एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रमुख प्रावधानों, शिकायत तंत्र, उनकी सुरक्षा के लिए स्थापित प्रणालियों, दंडात्मक प्रावधानों, और इन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

इस पुस्तिका पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सबसे महत्वपूर्ण, समुदाय की महिलाएँ के लिए उपयोगी है । इन प्रमुख हितधारकों को शिक्षित करके, पुस्तिका का उद्देश्य उन्हें अपने अधिकारों और उन अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे के ज्ञान से सशक्त बनाना है। महिलाओं को योजना निर्माण, निगरानी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सम्मिलित करना, पुलिस-न्यायपालिका से जुड़ी समस्याओं की पहचान और समाधान की दिशा में काम करना, तथा वन-स्टॉप सेंटर, लोक अधिकार केंद्र, सहायता समूह जैसे तंत्रों तक उनकी पहुंच बढ़ाना पंचायतों की जिम्मेदारी बनती है। इन कानूनों का प्रभावशाली क्रियान्वयन में पंचायत की भूमिका को भी इस पुस्तिका में रेखांकित किया है|

हम इस मूल्यवान संसाधन को साकार करने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज संचालनालय, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एवं पुस्तिका के रचयिता बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के डीन एवं विभागाध्यक्ष, प्रोफसर मोना पुरोहित, अधिवक्ता सुश्री. प्रेरणा सिंह राजपूत के प्रयासों के लिए ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और पंचायत राज निदेशालय, मध्य प्रदेश हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

हमें आशा है कि यह पुस्तिका मध्य प्रदेश में महिलाओं एवं पंचायती राज संस्थानों का जागरुकता को बढ़ावा देने, महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने, और एक सुरक्षित एवं अधिक समान वातावरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रुप में काम करेगी।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एक कानून है जो दहेज लेने और देने को अपराध बनाता है। भारत में दहेज प्रथा एक लंबे समय से चली आ रही सामाजिक बुराई रही है, जिसने न केवल अनेक परिवारों को जीवनभर के कर्ज में डुबो दिया, बल्कि कई महिलाओं की ज़िंदगी को भी संकट में डाल दिया। विवाह के समय वधु पक्ष से वर पक्ष को दी जाने वाली दहेज की मांग ने इस प्रथा को एक आर्थिक सौदे में बदल दिया, जहाँ बेटी को बोझ समझा जाने लगा। दहेज की माँग पूरी न होने पर विवाहित महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और कभी-कभी प्राणघातक यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। बढ़ते दहेज उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए एक क्रांतिकारी क़ानून लागू किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज की उस सोच को बदलना है जिसमें बेटी को आर्थिक बोझ समझा जाता है।

दहेज क्या है?

दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व एक परिवार द्वारा दूसरे परिवार को दी जाती है सामान्यतः लड़की के परिवार द्वारा लड़के या लड़के के परिवार को दी जाती है।

मुख्य प्रावधान

- **धारा 3- दहेज लेना अपराध है -** अगर कोई व्यक्ति विवाह के पहले, विवाह के समय या उसके बाद दहेज लेता है, तो यह अपराध माना जाएगा।
- **धारा 3- दहेज देना अपराध है-** अगर कोई व्यक्ति विवाह के पहले, विवाह के समय या उसके बाद दहेज देता है, तो यह अपराध माना जाएगा।
- **धारा 4- दहेज के लिए दबाव अपराध है -** अगर कोई व्यक्ति दहेज के लिए दबाव डालता है, तो यह अपराध माना जाएगा, दहेज की माँग करता तो भी यह अपराध है

उदाहरण

- रमेश और सीता के विवाह के समय रमेश के परिवार ने सीता के परिवार से 10 लाख रुपये, दहेज मांगा, यह अपराध है।
- राहुल ने विवाह के बाद अपनी पत्नी पर दहेज के लिए दबाव डाला। यह अपराध है।
- सीता के ससुराल में आते जाते सभी लोग उसे ताने कस रहे है की वह अपनी माँ के घर से कुछ भी लेकर नहीं आई है, सीता को बार बार यह बोला जा रहा है की रमेश की शादी किसी और से होती तो वह बहुत भाग्यशाली होता।

दंड का प्रावधान

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

दहेज लेने और देने के लिए 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपये या दहेज की राशि के बराबर जो भी ज्यादा हो उतना तक का जुर्माना हो सकता है।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस): धारा 80 (दहेज हत्या)

- बीएनएस धारा 80 (1) के तहत जब किसी महिला की शादी के सात साल के अंदर आग से जलने, शारीरिक चोट या अन्य किसी अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था तो उसके पति या उसके रिश्तेदारों पर धारा 80 (1) के तहत दहेज हत्या के आरोप लगाकर कार्यवाही की जा सकती है।
- बीएनएस धारा 80 (2) के तहत जो भी दहेज मृत्यु का दोषी होगा उसे किए गए अपराध की गंभीरता के आधार पर कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की कैद व जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

दहेज की शिकायत कौन कर सकता है?

स्वयं- जिससे दहेज मांगा गया	महिला के माता-पिता	महिला का परिवार से कोई (रिश्तेदार)

समय सीमा

इसकी कोई समय सीमा परिभाषित एक्ट में नहीं की गई है अतः, दहेज लेने देने की शिकायत कभी भी की जा सकती है।

शिकायत कहाँ होगी

दहेज से संबंधित अपराध की शिकायत के लिए हम सीधे पुलिस थाने जा सकते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ़्तार कर सकती है, क्योंकि यह एक गैर-जमानती और समझौता न किए जाने योग्य अपराध है, जिसमें थाने से ज़मानत नहीं मिलती।

उदाहरण

- उदय और गीता का विवाह हो रहा है। उदय के परिवार ने गीता के परिवार से 10 लाख रुपये, दहेज मांगे है। गीता के परिवार ने इस मांग को पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेच दी। यह दहेज का एक उदाहरण है जिसमें लड़की के परिवार को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा।
- तरुण ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए दबाव डाला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर वह दहेज नहीं लाती है, तो वह उसे छोड़ देगा। यह दहेज का एक उदाहरण है जिसमें लड़की को मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा।
- रूपा के पति ने उसे दहेज के लिए परेशान किया। उसने रूपा से कहा कि वह दहेज नहीं लाई इसलिए घर से निकल जाए । यह दहेज का एक उदाहरण है जिसमें लड़की को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

शिकायत में शामिल करने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी

- शादी की जानकारी: शादी की तारीख, विवाह कार्ड, शादी की फोटोस, विडियोज अगर हो तो।
- प्रताड़ना विवरण: किस-किस ने, कब, कहाँ, कैसे दहेज मांगा या उत्पीड़न किया — अवधि, स्थल, प्रकार (शारीरिक, मानसिक आदि)
- दहेज की मांग: रकम, गिफ्ट्स, जेवर, संपत्ति, वाहन आदि की मांग कब, किसने, कैसी तरीके से माँगी।
- देय/दिए गए प्रमाण: बैंक स्टेटमेंट, चेक, रसीद, व्हाट्सएप मैसेज, ई-मेल, रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान।
- चोट/हिंसा से सम्बंधित मेडिकल रिकॉर्ड: डॉक्टर रिपोर्ट, फोटो, आदि
- गवाहों की जानकारी: रिश्तेदार, दोस्त, बच्चों के बयान (यदि बच्चे हैं)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो दहेज लेने और देने को अपराध बनाता है। हमें इस कानून का पालन करना चाहिए और दहेज के खिलाफ लड़ना चाहिए।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एक ऐसा कानून है जिसे भारत में बाल विवाह की प्रथा को रोकने और इससे जुड़े अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह अधिनियम बाल विवाह को दंडनीय अपराध घोषित करता है और इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान करता है।

यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।

परिभाषाएं

21 वर्ष से कम आयु के लड़के या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के बीच होने वाला विवाह बाल विवाह कहलाता है। इसमें लड़की की उम्र भी संशोधन के माध्यम से 21 प्रस्तावित की गई है, जिसका क्रियान्वयन लंबित है।

इस अधिनियम के नियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी या किसी अन्य धर्म के अनुसार होने वाले विवाह पर लागू होते है।

दंड का प्रावधान

बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दंड (धारा-9)

जो कोई भी अठारह वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष होते हुए बाल विवाह करता है, उसे कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जा सकेगा।इस अधिनियम में महिलयों को जेल की सजा नहीं दी जाती।

बाल विवाह कराने पर दंड (धारा-10)

जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करता है, संचालित करता है, निर्देशित करता है या दुष्प्रेरित करता है, उसे कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने के कारण थे कि विवाह बाल विवाह नहीं था।

उदाहरण

राहुल 22 वर्ष का है और प्रिया 16 वर्ष की है। उनके परिवार ने उनके विवाह करवाया, यह बाल विवाह है क्योंकि प्रिया की आयु 18 वर्ष से कम है।

बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने पर दंड(धारा-11)

अगर कोई बच्चा (अभी बालिग नहीं हुआ है) शादी करता है, तो उस बच्चे की देखभाल करने वाला व्यक्ति — जैसे उसके माता-पिता, अभिभावक, या कोई और जो उसकी जिम्मेदारी संभालता है उस बच्चे की

- शादी करवाता है,
- शादी होने देता है,
- या रोकने में लापरवाही करता है,

तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सख्त जेल हो सकती है और उस पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है। जब तक यह साबित न हो जाए कि उस देखभाल करने वाले व्यक्ति की गलती नहीं थी, तब तक माना जाएगा कि उसने शादी को रोकने में लापरवाही की थी।

शिकायत कहाँ की जा सकती है?

1. 1098 पर कॉल करें:

- 1098 एक टोल-फ्री नंबर है जो बच्चों की सहायता के लिए पुरे भारत में काम करता है।
- आप इस नंबर पर कॉल करके बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं, और वे तत्काल मदद सुनिश्चित करेंगे।

2. पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें:

- आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और बाल विवाह की लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगी, जिसमें बाल विवाह को रोकना और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना शामिल है।

3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से संपर्क करें:

- आप अपने स्थानीय बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं और उन्हें बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं।
- यह अधिकारी बाल विवाह को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

4. बाल कल्याण समिति (CWC) से संपर्क करें:

- बाल विवाह के मामले में, आप किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाई गई स्थानीय बाल कल्याण समिति (CWC) से भी संपर्क कर सकते हैं।
- यह समिति बाल विवाह से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी।

5. न्यायालय में शिकायत दर्ज करें:

- आप सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- न्यायालय पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश देगा।

केस कौन दायर कर सकता है?

- बाल विवाह से प्रभावित बालक या बालिका।
- अगर विवाह के समय लड़का या लड़की नाबालिग थे, तो वे खुद या उनके संरक्षक या 'नेक्स्ट फ्रेंड' (संरक्षक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति) केस दायर कर सकते हैं।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी: यह अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो बाल विवाह को रोकने और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- कोई भी व्यक्ति: जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि बाल विवाह हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचना दे सकता है।
- ग्राम पंचायत का सरपंच: ग्राम पंचायत का सरपंच भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही कर सकता है।
- प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट: ये मजिस्ट्रेट भी बाल विवाह से संबंधित मामलों में कार्यवाही कर सकते हैं।
- सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन: सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन भी बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और केस दायर कर सकते हैं।

किनके विरुद्ध वाद दायर हो सकता है?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दायर हो सकता है :

- लड़का या लड़की (यदि वो वयस्क हो) जिनके बीच विवाह हुआ है।
- लड़के या लड़की के माता-पिता जो अपने बच्चे के बाल विवाह के लिए सहमति देते हैं।
- जो समुदाय बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या सहमति देते हैं, उनके विरुद्ध वाद दायर हो सकता है।
- जो व्यक्ति बाल विवाह के लिए सहायता करते हैं, उनके विरुद्ध वाद दायर हो सकता है।

बाल विवाह को रद्द करना

यदि बाल विवाह में कोई पक्षकार विवाह के समय नाबालिग था, तो वह विवाह को शून्य कराने के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, बशर्ते वह याचिका उसकी वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्षों के भीतर दाखिल की जाए। न्यायालय विवाह को अमान्य घोषित करते समय दोनों पक्षों और उनके परिवारों को विवाह में दिए गए धन, आभूषण या उपहार आदि को लौटाने का आदेश भी दे सकता है, लेकिन ऐसा आदेश देने से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा।

बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता

बाल विवाह को अकृत कर दिया गया है, डिक्री किए जाने से पूर्व ऐसे विवाह से उत्पन्न या गर्भित प्रत्येक बच्चा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिए वैध बच्चा समझा जाएगा।

पंचायत की भूमिका

- **बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता फैलाना :** ग्राम पंचायत की पहली जिम्मेदारी होती है कि वह समुदाय में बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाए। इसके लिए पंचायत स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, और सामाजिक मंचों पर कार्यक्रम आयोजित कर सकती है।
- **बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) का पालन सुनिश्चित करना :** पंचायत को यह सुनिश्चित करना होता है कि गांव में बाल विवाह न हो और यदि ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा हो तो उसे तुरंत रोका जाए।
- **संदिग्ध बाल विवाह की रिपोर्ट करना :** पंचायत को किसी बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह इसकी जानकारी बाल विवाह निषेध अधिकारी को दे या स्थानीय पुलिस को सूचित करे।
- **पंचायत स्तर पर विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाना :** विवाहों के पंजीकरण की प्रक्रिया में पंचायत की भागीदारी यह सुनिश्चित कर सकती है कि नाबालिग लड़के या लड़कियों की शादी न हो।
- **बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना :** पंचायत को स्कूलों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कियाँ शिक्षा से वंचित न हों, क्योंकि शिक्षा बाल विवाह रोकने का प्रभावी तरीका है।
- **सामाजिक दबाव और परंपराओं का सामना करना :** कई बार पंचायतों को सामाजिक परंपराओं और दबावों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में पंचायत को कानून और बाल अधिकारों के पक्ष में सख्ती से कार्य करना चाहिए।
- **सहयोगी संस्थाओं के साथ समन्वय :** ग्राम पंचायत को पुलिस, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से बाल विवाह रोकने के प्रयास करने चाहिए।

महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986

भारतीय समाज में महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा हेतु समय-समय पर कई विधिक उपाय किए गए हैं। विशेष रूप से मीडिया, विज्ञापन, सिनेमा, और प्रकाशन के माध्यम से महिलाओं को यौन वस्तु की तरह प्रस्तुत किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति ने समाज में स्त्री-विरोधी मानसिकता को और प्रबल किया। इसी पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार ने 1986 में इस अधिनियम को पारित किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के यौन रूप में अनुचित चित्रण को रोकना है।

उद्देश्य

- महिलाओं की गरिमा और मर्यादा की रक्षा करना।
- मीडिया और विज्ञापनों में अशोभनीय या यौन उन्मुख सामग्री के माध्यम से स्त्रियों के अवमाननापूर्ण चित्रण को रोकना।
- महिलाओं के प्रति लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और एक संतुलित सामाजिक दृष्टिकोण को स्थापित करना।

आवश्यकता

- 1980 के दशक में टेलीविजन और विज्ञापन माध्यमों के विस्तार के साथ महिला- शरीर के यौन-उत्पाद के रूप में प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी।
- यह अधिनियम तत्कालीन भारतीय दंड संहिता और अश्लील प्रकाशनों से संबंधित कानूनों में व्याप्त शून्यता को भरने के लिए लाया गया।

अशोभनीय प्रस्तुतीकरण

- किसी भी रूप में स्त्री की यौन दृष्टि से उत्तेजक या अपमानजनक चित्रण— जिसमें मुद्रित, लिखित, चित्र, चित्रण, फिल्म, चित्रकारी या किसी अन्य दृश्य माध्यम द्वारा किया गया प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

धारा 3 और 4

- कोई भी व्यक्ति पुस्तक, पत्रिका, चित्र, लेख, विज्ञापन, फिल्म या अन्य माध्यम से स्त्री का अशोभनीय प्रस्तुतीकरण नहीं कर सकता।
- विज्ञापन में महिलाओं की ऐसी छवि का उपयोग प्रतिबंधित है जो अश्लील या यौन उन्मुख हो।

उदाहरण

- कुछ रियलिटी शोज़ में महिलाओं के कपड़े, हाव-भाव और संवाद इस क़ानून के अंतर्गत आपत्तिजनक पाए गए हैं। जैसे कुछ डांस शोज़ में प्रदर्शन इस सीमा को पार कर जाता है जिसे "शालीनता" का उल्लंघन माना जाता है।
- मान लीजिए कि एक प्रसिद्ध फैशन मैगजीन (जैसे कोई फिल्मी या ग्लैमर पत्रिका) ने अपने कवर पेज पर एक महिला अभिनेत्री की ऐसी तस्वीर प्रकाशित की जो अत्यधिक उभयलिंगी भावनाएं उत्पन्न करती है, और वह तस्वीर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाती है।

  उस तस्वीर के साथ भड़काऊ या दोहरे अर्थ वाले शीर्षक भी छपे हैं। इसके अलावा, लेख में महिला के बारे में यौन उन्मुख, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है।

Premium
Rajsh

सामाजिक और विधिक महत्व

- यह अधिनियम एक ऐसी विधिक व्यवस्था को सशक्त करता है जो मीडिया में महिलाओं के वस्तुकरण को चुनौती देती है।
- यह स्त्रियों के व्यक्तित्व, गरिमा और निजता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है (अनुच्छेद 21)।
- यह समाज में लैंगिक न्याय और समानता की स्थापना की दिशा में एक आवश्यक उपकरण है।

केस दर्ज कौन कर सकता है?

1. पीड़ित महिला स्वयं
2. उस महिला का परिवार या अभिभावक (कुछ मामलों में)
3. कोई महिला संगठन (जैसे महिला आयोग, महिला अधिकार संगठन आदि)
4. कोई पुलिस अधिकारी

दंड का प्रावधान (धारा 6):

- पहली बार अपराध पर: 2 वर्ष तक की सजा या ₹2,000 तक जुर्माना, या दोनों।
- दूसरी बार या पुनरावृत्ति पर: 5 वर्ष तक की सजा या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों।

अधिग्रहण और जब्ती की शक्ति (धारा 5):

- सक्षम अधिकारी को अधिकार है कि वह किसी भी सामग्री को जब्त कर सके जिसमें स्त्री का अशोभनीय चित्रण हो।

अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना (धारा-8)

- इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय होगा। (संज्ञेय का अर्थ है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है)

अधिनियम के अपवाद

- यदि किसी प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान या सामाजिक जागरूकता है और वह गरिमायुक्त है, तो वह इस अधिनियम के दायरे से बाहर हो सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण और जांच

- केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को यह शक्ति प्राप्त है कि वे किसी स्थान का निरीक्षण कर सकते हैं जहां ऐसी सामग्री संग्रहीत हो।

व्यावहारिक चुनौतियाँ

- अधिनियम में "अशोभनीयता" की कोई स्पष्ट व सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी गई, जिससे विवाद की स्थिति बनती है।
- डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के विस्तार ने नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं, जबकि अधिनियम अभी भी पारंपरिक मीडिया तक सीमित है।
- अधिनियम का कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र और सामाजिक उदासीनता इसके प्रभाव को सीमित करता है।
- जांच अधिकारियों के पास तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।

न्यायिक दृष्टिकोण

- न्यायालयों ने इस अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि अशोभनीयता को निर्धारित करने के लिए समाज के सामान्य नैतिक मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

यह अधिनियम भारत के विधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में यौनिक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किए जाने से रोकता है। परंतु बदलते मीडिया परिदृश्य में इस अधिनियम की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए संशोधन, प्रवर्तन और जन-जागरूकता की आवश्यकता है।

पंचायत की भूमिका

- जागरूकता फैलाना: पंचायत की प्रमुख भूमिका ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को यह समझाने की होती है कि महिलाओं का किसी भी रूप में अश्लील चित्रण – चाहे वह पोस्टर, विज्ञापन, सोशल मीडिया, या किसी अन्य माध्यम से हो – गैरकानूनी है और दंडनीय अपराध है।
- समुदाय में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना: पंचायत अपने स्तर पर ऐसे कार्यक्रम, नाटक, कार्यशालाएँ आयोजित कर सकती है जो महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और लैंगिक समानता को बढ़ावा दें।
- शिकायतों को दर्ज कराना और कार्रवाई सुनिश्चित करना: यदि पंचायत को किसी भी प्रकार के अश्लील चित्रण या प्रदर्शन की जानकारी मिलती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित अधिकारियों (जैसे पुलिस या महिला एवं बाल विकास विभाग) को सूचित करे और कार्रवाई में सहयोग करे।
- महिलाओं को सशक्त बनाना: पंचायत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकती है, ताकि वे खुद इस प्रकार के चित्रण के विरुद्ध आवाज उठा सकें।
- स्कूलों और युवाओं में नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहन: पंचायत स्थानीय स्कूलों के साथ मिलकर किशोरों और युवाओं में इस अधिनियम की जानकारी और महिलाओं के सम्मान से जुड़े मूल्यों को बढ़ावा दे सकती है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 42 (मातृत्व राहत प्रदान करना राज्य का कर्तव्य) और अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान) से प्रेरित है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961 भारत में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु लागू हुआ। यह गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश, चिकित्सा बोनस, और नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उपयोग कारखानों, दुकानों, और 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में होता है। यह अधिनियम माता-शिशु स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है। 2017 के संशोधन ने अवकाश अवधि बढ़ाई और गोद लेने वाली माताओं के लिए प्रावधान जोड़े।

अधिनियम का उद्देश्य:

- महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के दौरान सुरक्षित वातावरण व आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना ताकि वे मातृत्व के कारण नौकरी से वंचित न हों।

अधिनियम की सीमा:

- यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों।
- सरकारी व निजी संस्थानों, कारखानों, खदानों, दुकानें, और ऐसी किसी भी संस्था पर लागू है जहां महिलाएं नियोजित हों।

लाभ की पात्रता:

कोई भी महिला जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन उस प्रतिष्ठान में कार्य किया हो, वह मातृत्व लाभ की पात्र होगी।

मातृत्व अवकाश की अवधि:

- पहले दो बच्चों के लिए: 26 सप्ताह (पहले यह 12 सप्ताह थी; 2017 संशोधन द्वारा बढ़ाई गई)।
- तीसरे बच्चे के लिए: 12 सप्ताह
- महिला कर्मचारी को यह अवकाश प्रसव से अधिकतम 8 सप्ताह पहले और शेष प्रसव के बाद दिया जा सकता है।

दत्तक और सरोगेसी माताओं के लिए प्रावधान (2017):

- यदि कोई महिला 3 महीने से कम आयु के शिशु को गोद लेती है या सरोगेसी से बच्चा प्राप्त करती है, तो उसे 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा।

विभिन्न सेवाएँ एवं प्रावधान

चिकित्सा बोनस:

- यदि नियोक्ता किसी प्रकार की पूर्व या प्रसवोत्तर चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं करता, तो महिला को ₹3,500/- तक का चिकित्सा बोनस देय होगा।

टेलीवर्किंग प्रावधान 2017:

- नियोक्ता की सहमति से महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश के उपरांत वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ले सकती है, यदि कार्य की प्रकृति ऐसी हो जो घर से की जा सकती हो।

क्रेच सुविधा 2017 संशोधन:

- ऐसे प्रतिष्ठानों में जहाँ 50 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहाँ क्रेच (शिशु देखभाल केन्द्र) की सुविधा अनिवार्य है।
- महिला कर्मचारी को कार्यदिवस में चार बार क्रेच जाने की अनुमति होनी चाहिए (जिसमें आराम का समय भी शामिल है)।

महिला का कार्य से वंचन

- किसी भी महिला कर्मचारी को केवल इस आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता कि वह मातृत्व लाभ प्राप्त कर रही है या अवकाश पर है।
- ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाएगा।

प्रतिबंध – खतरनाक कार्य या कठिन समय में कार्य निषिद्ध:

- गर्भवती महिला को खतरनाक कार्य, भारी वजन उठाने या रात्रि कार्य (10 PM – 5 AM) के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सूचना का अधिकार:

- प्रत्येक प्रतिष्ठान को महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम से संबंधित सभी जानकारी उनकी नियुक्ति के समय लिखित रूप में देना अनिवार्य है।

शिकायत और अधिकार:

- यदि महिला कर्मचारी को उसके मातृत्व लाभों से वंचित किया जाता है, तो वह प्राधिकृत निरीक्षक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकती है।
- दोषी नियोक्ता को ₹5,000 तक का जुर्माना या एक वर्ष तक की सजा हो सकती है।

चुनौतियाँ

- निजी क्षेत्र में क्रेच सुविधा की कमी।
- महिलाओं की भर्ती में भेदभाव की संभावना (उदाहरण: मातृत्व लाभ लागत के कारण महिला को न चुनना)।
- अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाना

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (2017 संशोधन सहित) महिलाओं को कार्यस्थल पर गरिमा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन है। इसकी सफलता न केवल नीतिगत प्रतिबद्धता पर, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और क्रियान्वयन की दृढ़ता पर भी निर्भर करती है।

पंचायत की भूमिका

1. जागरूकता फैलाना :

पंचायतों की मुख्य भूमिका महिलाओं को इस अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में जागरुक करना है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने का कार्य करती हैं।

2. पात्र महिलाओं की पहचान करना:

ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करती है कि जो महिलाएँ मातृत्व लाभ की पात्र हैं, उनकी पहचान कर संबंधित विभागों को जानकारी दी जाए।

3. सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार:

इस अधिनियम के तहत शुरु की गई योजनाएँ जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के प्रचार-प्रसार में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

4. आवेदन प्रक्रिया में सहायता:

ग्राम पंचायत महिलाओं को आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने और आवेदन पत्र भरने में सहायता करती है जिससे वे समय पर लाभ प्राप्त कर सकें।

5. निगरानी एवं शिकायत निवारण:

पंचायत यह निगरानी करती है कि लाभ समय पर मिले और यदि कोई महिला शिकायत करती है तो पंचायत उसका समाधान स्थानीय स्तर पर करने का प्रयास करती है या उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करती है।

6. स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को जोड़ना:

पंचायतें आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि गर्भवती महिलाओं को समय पर पोषण, टीकाकरण और चिकित्सा सेवाएँ मिलें।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

भारतीय समाज में विवाह को केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा जाता है। परंतु आधुनिक भारत में जब व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत पसंद के अधिकार को बल मिला है, तो अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों की आवश्यकता को कानूनी समर्थन देना आवश्यक हो गया। इसी उद्देश्य से 'विशेष विवाह अधिनियम, 1954' अस्तित्व में आया, जो एक धर्मनिरपेक्ष सिविल विवाह व्यवस्था की स्थापना करता है।

उद्देश्य

- भारत के नागरिकों को धर्म, जाति, नस्ल या पंथ की परवाह किए बिना विवाह करने की स्वतंत्रता देना।
- धार्मिक अनुष्ठानों से मुक्त वैवाहिक प्रणाली उपलब्ध कराना।
- अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह को विधिक मान्यता देना।
- विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना।

प्रमुख प्रावधान

धारा 4: विवाह की पात्रता

विवाह हेतु निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:

- दोनों पक्षों की आयु: पुरुष – न्यूनतम 21 वर्ष, महिला – न्यूनतम 18 वर्ष।
- दोनों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए।
- कोई भी पक्ष पहले से विवाहित न हो।
- विवाह निषिद्ध डिग्री के संबंधों में न हो (जब तक कि व्यक्तिगत कानून इसकी अनुमति न दे)।

सामाजिक महत्व

- अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह को सामाजिक वैधता प्रदान करना।
- सामाजिक पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता को चुनौती देना।
- महिला अधिकारों और विवाह की स्वतंत्रता को बल देना।
- विवाह में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देना।

धारा 5–7: पूर्व सूचना और प्रकाशन

- विवाह से 30 दिन पूर्व संबंधित विवाह अधिकारी को लिखित सूचना देनी होती है।
- सूचना एक सूचना-पुस्तिका में दर्ज की जाती है और कार्यालय के बाहर चस्पा की जाती है।
- यदि कोई आपत्ति होती है, तो उस पर जांच करता है।

धारा 11– 13: विवाह का पंजीकरण और प्रमाणपत्र

- निर्धारित दिन और स्थान पर विवाह अधिकारी की उपस्थिति में तीन गवाहों के सामने विवाह संपन्न होता है।
- विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है और एक वैधानिक विवाह प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

धारा 19– 21 क: विवाह का प्रभाव

- विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत किया गया विवाह धार्मिक रीति-रिवाजों से अलग होता है।
- यदि कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि होकर भी इस अधिनियम के तहत विवाह करता है, तो उस पर उसका धर्म विशेष का वैवाहिक कानून लागू नहीं होगा (उदाहरण: हिंदू विवाह अधिनियम नहीं)।

धारा 27–30: तलाक और विच्छेद के प्रावधान

- पति या पत्नी आपसी सहमति, क्रूरता, परित्याग, मानसिक विकृति, व्यभिचार, धर्म-परिवर्तन आदि आधारों पर तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं।
- तलाक हेतु जिला न्यायालय में आवेदन किया जाता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- 30 दिन की सूचना अवधि के कारण कई मामलों में जोड़ों को सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- विवाह अधिकारी द्वारा पक्षपात या अनावश्यक आपत्ति दर्ज करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम की जानकारी का अभाव।
- अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर सामाजिक बहिष्कार और हिंसा की संभावना।

न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर इस अधिनियम की व्याख्या में स्वतंत्रता, गोपनीयता और अधिकारों को सर्वोपरि माना है:

- श्रेयांस नवीन वर्सेकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2021): अदालत ने कहा कि सूचना अवधि में विवाह की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है।
- ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य (2013): विवाह के बाद उत्पन्न खतरे में पुलिस को दंपति को सुरक्षा देना अनिवार्य है।

पंचायत की भूमिका

- विवाह की प्रक्रिया, अधिकारों और संरक्षण की जानकारी ग्रामीण समुदाय तक पहुँचाना।
- विवाह सूचना की प्रक्रिया में प्रशासनिक सहयोग देना।
- विरोध या सामाजिक दबाव की स्थिति में युवाओं को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
- दंपतियों को सुरक्षा दिलाने और सामाजिक विवाद के समाधान में मध्यस्थता करना।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को सामान्यतः घरेलू हिंसा अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम घर में होने वाली हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है । संविधान का अनुच्छेद 15 संसद को महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने इस कानून का निर्माण किया है। यह अधिनियम 13 सितम्बर को निर्मित एवँ 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था जिसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है। इस अधिनियम में कुल पांच अध्याय एवं 37 धाराएं है।

घरेलू हिंसा का अर्थ

घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा -3 में दी गई है घरेलू हिंसा में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। घरेलू संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जो महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को क्षति पहुँचाता है, या उसे मानसिक, लैंगिक, भावात्मक, आर्थिक या शारीरिक हानि पहुँचाता है, उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है।

घरेलू हिंसा के प्रकार

- शारीरिक प्रताड़ना (जैसे मार-पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत से काटना, लात मारना इत्यादि),
- लैंगिक शोषण (जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए विवश करना, लैंगिक दुर्व्यवहार),
- मौखिक और भावनात्मक हिंसा (जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, महिला को अपनी पसंद से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना, घर से बाहर निकाल देना, इत्यादि),
- आर्थिक हिंसा (जैसे बच्चे की देखभाल के लिए संसाधन न देना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, या उसमें रुकावट डालना, महिला की आय, वेतन ले लेना, इत्यादि), भी घरेलू हिंसा है।

किसके विरुध केस किया जा सकता है?

पूर्व में इस अधिनियम में केवल पुरुष ही अपराधी बनाए जा सकते हैं - जैसे भाई, पिता, पति, पति के रिश्तेदार लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाएं अपराधी घोषित नहीं की जा सकती थी लेकिन 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार महिलाओं के विरुध भी केस किया जा सकता है।

शिकायत कौन कर सकता है?

- कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है,जिसने ऐसा देखा सुना है, कि घरेलू हिंसा हो चुकी है या होने की संभावना है इस अधिनियम में शिकायत कर सकता है।
- स्वयं पीड़िता, क़ोई रिश्तेदार, अभिभावक, अथवा पड़ोसी जिसे किसी घर से लड़ाई या झगड़े की आवाज़ आ रही है।

- अगर उसने सद्भावना से शिकायत की है तो उसके विरुद्ध कोई भी सिविल या दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी चाहे वो शिकायत झूठी साबित होती है।
- अगर शिकायत करने वाले को अपनी पहचान गुप्त रखनी है तो उसके कहने पर उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।

शिकायत कैसे करनी है?

घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए निम्न तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है:

- महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करें
- निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करें
- महिला आयोग में लिखित शिकायत दें
- प्रोटेकशान ऑफ़िसर से संपर्क करें (जिला स्तर पर होते हैं)
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर या स्थानीय NGO से संपर्क करें
- मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) को जिला या कुटुंब न्यायालय में शिकायत करें

शिकायत में क्या-क्या विवरण देना चाहिए?

- पीड़िता का विवरण: पूरा नाम, उम्र, पता, संपर्क नंबर
- वैवाहिक स्थिति (शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा आदि)
- प्रताड़ना करने वाले का विवरण: उसका नाम, रिश्ता (पति, ससुर, देवर, आदि), एवं पता
- हिंसा की जानकारी: हिंसा की तारीखें, समय, जगह
- हिंसा किस प्रकार की थी (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन)
- कितनी बार ऐसा हुआ है?
- कोई गवाह है या नहीं?
- मेडिकल रिपोर्ट (अगर हो तो):
- अस्पताल की रिपोर्ट या डॉक्टर की रिपोर्ट
- सबूत (अगर मौजूद हों):
- फोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग
- पड़ोसियों या गवाहों के बयान
- मोबाइल मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स
- पहले की गई शिकायत (अगर की हो):
- पुलिस में पहले रिपोर्ट की गई हो तो उसका विवरण।

नोट

महिला या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकासान के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को आवेदन दे सकता है। इसकी सुनवाई तिथि तीन दिनों के अन्दर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60दिनों के अन्दर होगा। (धारा 12)

इस अधिनियम के तहत महिलाओं को क्या राहत मिलती है?

- संरक्षण आदेश (धारा- 18)
- निवास आदेश (धारा- 19)
- मॉनिटरी राहत (धारा- 20)
- बच्चे क़ा अभिरक्षा आदेश (धारा- 21)
- मुआवजा आदेश (धारा- 22)
- अंतरिम आदेश (धारा- 23)

घरेलू हिंसा की शिकायत कहाँ करे ? -

घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकते है। महिलाओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 या 1091 या गैर सरकारी संगठन (पंजीकृत सेवा प्रदाता) के पास जा सकते है। राष्ट्रीय अथवा राज्य महिला आयोग पर भी इसकी शिकायत कराई जा सकती है। घरेलू हिंसा में प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा डोमेस्टिक इंसीडेंट रिपोर्ट/ घरेलू घटना की रिपोर्ट (DIR) बनायी जाती है। मजिस्ट्र, प्रोटेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित करते है।

यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गयी है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी कि **धारा 5** में उसे निम्न सुविधाए पाने का अधिकार है-

(क) उसे संरक्षण आदेश पाने का
(ख) सेवा प्रदाता की सेवा
(ग) संरक्षण अधिकारी की सेवा
(घ) मुफ्त विधिक सहायता
(ङ) परिवाद-पत्र दाखिल करने का अधिकार

अधिनियम के मुख्य बिंदु

- ऐसे अपराध जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं संज्ञेय मामले होंगे अर्थात पुलिस बिना वारंट अपराधी को गिरफ्तार करने में सक्षम रहेगी और इसमें बेल का प्रावधान नहीं रहेगा। (धारा 10)
- सेवा प्रदाता भी मजिस्ट्रेट या संरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है।
- पक्षकार ऐसी इच्छा करें तो कार्यवाही बंद कमरे में हो सकेगी।(जिनके सामने पक्षकार अपनी बात रखने में सहज महसूस करे बस वही लोग मोजूद रहे) (धारा 16)
- पीड़िता को और उसके संतान को संरक्षण देने के लिए स्थानीय थाने को निर्देश दिया जाएगा। साथ निवास आदेश एवं किसी तरह के भुगतान के संबंध और सम्पत्ति का कब्जा वापस करने का भी आदेश दिया जा सकेगा।(धारा 19)
- वित्तीय अनुतोष- पीड़िता या उसके संतान को घरेलू हिंसा के बाद किये गये खर्च एवं हानि की पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकेगा तथा भरण-पोषण का आदेश अथवा प्रतिकर आदेश भी दे सकता है। (धारा 20-22)
- अभिरक्षा आदेश- संतान की अभिरक्षा आदेश या संतान से मिलने का भी आदेश मैजिस्ट्रेट दे सकेगा। (धारा 21)
  क्षकारों को आदेश की प्रति निः शुल्क न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। (धारा 24)

सुरक्षा आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया

- सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सबसे पहले महिला को उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी होगी । मजिस्ट्र प्रोटेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित करते है। शिकायत दर्ज करने के बाद कोर्ट में सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन देनी होगी।
- आवेदन में हिंसा के बारे में सभी जानकारी को विस्तार से बताना होगा जैसे पति, भाई या पारिवा का कोई अन्य सदस्य का नाम जो उसके साथ मारपीट या उत्पीड़न करता है।
- यह साबित करना होगा कि महिला को खतरा है। इसके बाद न्यायालय आवेदन पर सुनवाई के दौरान मारपीट करने वाले व्यक्ति को पेश होने के लिए आदेश देगा। न्यायालय सबूत और बयानों को सुनकर सुरक्षा आदेश जारी करने का फैसला सुनाएगा।

घरेलू हिंसा में महिला को मिलने वाली आर्थिक सहायता और गुज़ारा भत्ता में क्या-क्या मिल सकता है?

- यदि महिला घरेलू हिंसा के कारण अपने पति से अलग रह रही है तो वह महिला और उसके बच्चे दोनों के लिए भरण पोषण के लिए पैसा मांग सकती है, संपत्ति का अधिकार, और बच्चे क़ा कसटडी भी माँग सकती है | महिला को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता भी मिल सकती है जैसे की रहने के लिए घर का खर्चा और चिकित्सा खर्च।

घर से बहिष्कार आदेश

कभी-कभी घरों में गंभीर घरेलू परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किंतु कोई अपराध नहीं होता। ऐसी स्थिति में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही मुकदमा चलाया जा सकता है। घर से बहिष्कार आदेश पुलिस को स्थिति के बिगड़ने से पूर्व कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं, ताकि बच्चों या घर के अन्य सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जब तक यह आदेश लागू है, तब तक जिस व्यक्ति पर यह लागू होता है, वह अपने साथी या बच्चों से संपर्क नहीं कर सकता। वह व्यक्ति न्यायालय में समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

न्यायालय द्वारा दिए गए सुरक्षा आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड

- न्यायालय द्वारा यदि पूर्व में सुरक्षा आदेश दिया गया है और प्रतिवादी उस सुरक्षा आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो यह एक अपराध माना जाता है, जिसमें एक वर्ष तक की कैद, बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माने की गंभीरता पीड़ितों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए है (धारा 31)
- अधिनियम के तहत अपराधों के संज्ञान को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।(धारा 32)

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारिकता होती है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के निर्णय खिलाफ अपील 30 दिन के भीतर सेशन कोर्ट में की जा सकती है।

- पंचायतें महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के लिए शौर्य दलों को सक्रिय भूमिका में ला सकती हैं।
- शौर्य दल समुदाय-आधारित ऐसे समूह होते हैं जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की पहचान, रोकथाम और हस्तक्षेप के लिए गठित किए जाते हैं। ये दल ग्राम स्तर पर सतर्कता और सहयोग का एक मजबूत माध्यम बन सकते हैं।
- महिला निर्वाचित प्रतिनिधि इस दिशा में नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं। वे महिलाओं को जागरूक करने, उन्हें संगठित करने और पीड़ित महिलाओं को परामर्श एवं भावनात्मक सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- पंचायतें यह भी सुनिश्चित कर सकती हैं कि महिलाएं वन स्टॉप सेंटर और लोक अधिकार केंद्र जैसी सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करें, जहाँ उन्हें विधिक सहायता, चिकित्सा, परामर्श और अन्य संरक्षण मिल सके। इसके साथ ही, पंचायतें महिलाओं को सरकारी योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों से भी जोड़ सकती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- पीड़ितों को समर्थन देना: पंचायतें घरेलू हिंसा के पीड़ितों को समर्थन दे सकती हैं और उन्हें उचित अधिकारियों के पास भेजने में मदद कर सकती हैं।
- विवादों को सुलझाना: पंचायतें घरेलू हिंसा के मामलों में विवादों को सुलझाने में और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद कर सकती हैं।
- जागरूकता बढ़ाना: पंचायतें घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती हैं और समुदायमें इसके प्रभावों के बारे में शिक्षित कर सकती हैं।
- समुदाय में जागरूकता बढ़ाना: पंचायतें समुदाय में घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती हैं और इसके प्रभावों के बारे में शिक्षित कर सकती हैं।

इस प्रकार, पंचायत न केवल एक प्रशासनिक इकाई होती है, बल्कि वह ग्रामीणमहिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक प्रभावशाली मंच भी बन सकती है।

महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

भारतीय समाज में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013'—जिसे संक्षेप में पॉश अधिनियम कहा जाता है—को लागू किया गया। यह अधिनियम कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने, एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने तथा पीड़िता को प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। यह न केवल महिलाओं को कानूनी संरक्षण देता है, बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता और व्यक्तिगत गरिमा की भावना को भी सुदृढ़ करता है।

मुख्य उद्देश्य

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और उसका निवारण करना।
- महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।
- यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना।
- इस प्रकार, कार्य से संबंधित यात्रा, कार्यालय के बाहर की गतिविधियाँ, और अन्य पेशेवर जिम्मेदारियों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी पॉश अधिनियम का उद्देश्य है।
- शिकायत के लिए उचित प्रक्रिया उपलब्ध कराना।
- कार्यस्थल जहां महिलाएं काम करती है उस जगह को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना।

यौन उत्पीड़न में शामिल व्यवहार

1. अनचाहा शारीरिक स्पर्श या शारीरिक संपर्क।
2. यौन संबंध बनाने की माँग या अनुरोध।
3. यौन प्रकृति की अभद्र टिप्पणी।
4. अश्लील साहित्य दिखाना या जबरदस्ती दिखाना।
5. किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार, जो अपमानजनक, डराने वाला या आपत्तिजनक हो

परिभाषाएं:

- **कार्यस्थल-** कार्यालय, संस्थान, स्कूल, ग्राम पंचायत, मनरेगा कार्यस्थल, कॉलेज,घर (घरेलू कामगारों के लिए), सरकारी/निजी संस्थान आदि इसके अंतर्गत आयेगे।
- **महिला -** किसी भी आयु, पद, श्रेणी, या प्रकार की महिला से है। यह अधिनियम सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह स्थायी हो, अस्थायी हो, प्रशिक्षु हो, इंटर्न हो, अनुबंध पर कार्यरत हो, या स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रही हो। उनकी उम्र, सामाजिक स्थिति या कार्य की प्रकृति इस अधिनियम की सुरक्षा से बाहर नहीं करती। इस अधिनियम के अंतर्गत हर महिला को, चाहे वह किसी भी स्थिति या भूमिका में हो, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

इस एक्ट के अंतर्गत दो समितियों का गठन किया गया है

1. आंतरिक शिकायत समिति.
2. स्थानीय शिकायत समिति

विशेषता / तत्व	आंतरिक शिकायत समिति (ICC)	स्थानीय शिकायत समिति (LCC)
गठन की आवश्यकता	जब संस्था में 10 या अधिक कर्मचारी हों।	जब संस्था में 10 से कम कर्मचारी हों या ICC मौजूद न हो।
गठन कौन करता है?	नियोक्ता (Employer)	जिला अधिकारी (जिलाधिकारी/DM)
गठन का स्थान	हर कंपनी/संस्था/ऑफिस	हर जिला (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में)
शिकायत दर्ज कर सकता है	संस्था की कोई भी महिला कर्मचारी	असंगठित क्षेत्र की महिला कर्मचारी या जहां ICC न हो
कुल सदस्य संख्या	न्यूनतम 4 सदस्य	कुल 4 सदस्य
महिला अध्यक्ष (Chairperson)	संस्था की वरिष्ठ महिला कर्मचारी	सामाजिक कार्यकर्ता, महिला मुद्दों पर अनुभव रखने वाली महिला
आंतरिक सदस्य	दो कर्मचारी (महिला/पुरुष हो सकते हैं)	दो सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षक/वकील, जिनमें कम से कम एक महिला
बाहरी सदस्य	एक व्यक्ति – NGO या कानून विशेषज्ञ से	एक NGO प्रतिनिधि – महिला अधिकार या लैंगिक समानता में कार्यरत
सदस्य सचिव	नहीं (ICC में नहीं होता)	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / समाज कल्याण अधिकारी

महिलाओं का प्रतिशत	कुल सदस्यों में कम से कम 50% महिलाएं	कुल सदस्यों में कम से कम 50% महिलाएं
शिकायत दर्ज करने की समय सीमा	3 महीने (विशेष परिस्थितियों में 3 और महीने)	3 महीने (विशेष परिस्थितियों में 3 और महीने)
कार्यक्षेत्र / अधिकार क्षेत्र	संबंधित संस्था के सभी कर्मचारी	असंगठित क्षेत्र, पंचायतें, और ऐसी संस्थाएं जहाँ ICC नहीं है
कार्य	यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और निवारण	यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और निवारण

शिकायत में शामिल जानकारी:

- पीड़ित महिला का नाम और पता
- आरोपी का नाम और पद
- घटना की तारीख, समय और स्थान
- घटना का विवरण
- गवाहों के नाम और पते (यदि कोई हों)

किससे संपर्क करें:-

- आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के अध्यक्ष या सदस्य
- स्थानीय शिकायत समिति (LCC) के अध्यक्ष या सदस्य
- नियोक्ता या HR विभाग (यदि ICC हो)

महत्वपूर्ण बिंदु

- ➢ पॉश कानून के अंतर्गत, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों के नाम और उनके फोन नंबरों की सूची ऐसी जगह पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ सभी लोग आसानी से देख सकें, ताकि कोई भी महिला यदि चाहें तो सीधे किसी भी सदस्य से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सके।
- ➢ शिकायत लिखित में होनी चाहिए और पीड़ित महिला द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए
- ➢ शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
- ➢ समिति जांच करेगी और उचित कार्रवाई कार्यवाही करेगी।

पॉश Act, 2013 के अनुसार, शिकायत के निपटारे की समय-सीमा इस प्रकार है:

1. शिकायत की जांच पूरी करने की समय-सीमा: स्थानीय शिकायत समिति (LCC) या आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को शिकायत 90 दिन के भीतर की पूरी जांच करनी होती है।
2. रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा: जांच पूरी होने के 10 दिन के भीतर, समिति को अपनी जांच रिपोर्ट संबंधित जिला अधिकारी या नियोक्ता को देनी होती है।
3. कार्रवाई की समय-सीमा (आखिरी आदेश) जिला अधिकारी या नियोक्ता को 60 दिन के भीतर समिति की सिफारिशों के आधार पर उचित कार्रवाई करनी होती है।

दंड का प्रावधान

- दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही , मुआवज़ा, सेवा समाप्ति आदि।
- झूठी शिकायत पर भी समिति दंड दे सकती है (यदि साबित हो जाए कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी)।

पंचायत की भूमिका

- जागरूकता और संवेदनशीलता: पंचायतें समुदाय को पॉश अधिनियम के बारे में जागरूक करने और इसके प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं और अभियान आयोजित कर सकती हैं।
- शिकायत तंत्र: पंचायतें महिलाओं को शिकायत दर्ज करने में मदद कर सकती हैं और उन्हें सबंधित अधिकारियों के पास भेजने में सहायता प्रदान कर सकती हैं।
- निवारण और समर्थन: पंचायतें यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं को उचित सहयोग और निवारण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- रोकथाम और निगरानी के तहत पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में मनरेगा, कार्य स्थलों, अन्य कार्यालयों और फैक्ट्रियों जैसे स्थानों की निगरानी कर सकती हैं तथा यौन उत्पीड़न की संभावनाओं की पहचान कर समय रहते रोकथाम के उपाय कर सकती हैं।

ऑफ
6267576298

भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय न्याय प्रणाली में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में महिलाओं से संबंधित अपराधों को स्पष्ट रुप से परिभाषित किया गया है और उनके निवारण तथा दंड के लिए सख्त धाराएं निर्धारित की गई हैं।

भारतीय दंड कानूनों में ऐतिहासिक परिवर्तन

1 जुलाई 2024 से भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गए है। निम्नलिखित नए कानूनों को लागू कर पुराने कानूनों को निष्प्रभावी कर दिया गया है:

1. भारतीय न्याय संहिता– यह अब भारतीय दंड संहिता का स्थान ले चुकी है।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता– यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता का स्थान ले चुकी है।
3. भारतीय साक्ष्य संहिता – यह पूर्ववर्ती भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले चुका है।

इन नए कानूनों का उद्देश्य आपराधिक मामलों में न्याय प्रक्रिया को गति देना, पारदर्शी, तकनीक-समर्थित और पीड़ित-केंद्रित बनाना है। अब देश में सभी आपराधिक मामलों की कार्यवाही और निर्णय इन्हीं नए कानूनों के तहत किए जा रहे हैं।

नीचे महिलाओं से संबंधित प्रमुख अपराधों, उनके लिए लागू धाराओं तथा प्रक्रियात्मक प्रावधानों की जानकारी दी गई है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और न्यायपूर्ण समाज प्रदान करना है।

महिलाओं से संबंधित अपराध

1. बलात्कार

धारा 63 बलात्कार की परिभाषा

किसी पुरुष को बलात्कार करने वाला कहा जाता है यदि वह-

(क) किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक अपना लिंग प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या

(ख) किसी भी सीमा तक किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रविष्ट करता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग को इस प्रकार प्रभावित करेगा कि उसकी योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश हो जाए या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाएगा; या

(घ) किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, निम्नलिखित सात में से किसी भी विवरण के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में:

i. उसकी इच्छा के विरुद्ध;
ii. उसकी सहमति के बिना;
iii. उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या क्षति का भय दिखाकर प्राप्त की गई हो;
iv. उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह कोई दूसरा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या होने का विश्वास करती है;
v. उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देते समय, मानसिक विकृति या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रुप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी मादक या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण, वह उस पदार्थ की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जिसके लिए वह सहमति दे रही है;
vi. उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की हो;
vii. जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो।

धारा 68: प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यौन संभोग जो कोई,

(क) प्राधिकार की स्थिति में या प्रत्ययी संबंध में होते हुए; या

(ख) कोई लोक सेवक; या

(ग) किसी जेल, रिमांड होम या किसी कानून के तहत स्थापित हिरासत के अन्य स्थान या महिलाओं या बच्चों के संस्थान का अधीक्षक या प्रबंधक; या

(घ) यदि कोई अस्पताल कर्मी या प्रबंधक अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी देखरेख में या अस्पताल परिसर में मौजूद किसी महिला को यौन संबंध के लिए बहकाता है, और यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, तो उसे 5 से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना होगा।

स्पष्टीकरण

- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'योनि' के अंतर्गत वृहत् भगोष्ठ भी हैं।
- सहमति से स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता अभिप्रेत है जब महिला शब्दों, इशारों या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार द्वारा विशिष्ट यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। परन्तु यह कि यदि कोई महिला प्रवेश के कृत्य का शारीरिक रुप से प्रतिरोध नहीं करती है तो उसे केवल इस तथ्य के आधार पर यौन क्रियाकलाप के लिए सहमति देने वाली नहीं माना जाएगा।

अपवाद

- कोई चिकित्सीय प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार नहीं माना जाएगा।
- किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ, यदि पत्नी अठारह वर्ष से कम आयु की न हो, यौन संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है।

धारा 70: सामूहिक बलात्कार

(1) यदि किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर या एक ही इरादे से बलात्कार किया जाता है, तो हर व्यक्ति को बलात्कार का दोषी माना जाएगा। ऐसे मामलों में सजा कम से कम 20 साल की कठोर कैद होगी, जो उम्रभर की जेल तक हो सकती है, और दोषी को जुर्माना भी देना होगा।

बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और उचित होगा। आगे यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा के अधीन लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।

2. महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उसपर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग

धारा 74: जो कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने आशय से यह जानते हुए कि उसके द्वारा उसकी लज्जा भंग हो रही है उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष से काम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने का दाही होगा।

धारा 75: यौन उत्पीड़न

(1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है:-

- (i) शारीरिक संपर्क और अवांछित तथा स्पष्ट यौन प्रस्तावों से संबंधित प्रगति; या
- (ii) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध; या
- (iii) किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना; या
- (iv) यौन रंजित टिप्पणी करना, यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे तीन वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1. इस धारा में, यौन संभोग से धारा 63 के खंड (क) से (घ) में उल्लिखित कोई भी कार्य अभिप्रेत होगा।

स्पष्टीकरण 2. इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3. किसी जेल, रिमांड होम या अन्य अभिरक्षा स्थान या किसी महिला या बालक संस्था के संबंध में, अधीक्षक में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो ऐसी जेल, रिमांड होम, स्थान या संस्था में कोई अन्य पद धारण करता है जिसके आधार पर ऐसा व्यक्ति उसके निवासियों पर कोई प्राधिकार या नियंत्रण रख सकता है।

धारा 77: ताक-झांक.

यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को ऐसी स्थिति में देखता है या उसकी तस्वीर खींचता है जब वह किसी निजी कार्य में संलग्न हो (जैसे कपड़े बदलना, नहाना आदि) और उस स्थिति में स्त्री को यह उम्मीद होती है कि कोई उसे नहीं देख रहा होगा, और वह व्यक्ति उस तस्वीर को खींचता है या आगे प्रसारित करता है, तो यह अपराध है। पहली बार ऐसा करने पर 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, और दोबारा करने पर 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना होगा।

स्पष्टीकरण

- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निजी कृत्य" में ऐसे स्थान पर किया गया देखने का कृत्य सम्मिलित है, जहां परिस्थितियों के अनुसार, निजता उपलब्ध कराने की युक्तिसंगत अपेक्षा की जाती है और जहां पीड़िता के जननांग, पश्च भाग या स्तन खुले हुए हैं या केवल अंडरवियर से ढके हुए हैं; या पीड़िता शौचालय का उपयोग कर रही है; या पीड़िता ऐसा यौन कृत्य कर रही है जो सामान्यतः सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है।
- जहां पीड़ित छवियों या किसी कार्य को कैप्चर करने के लिए सहमति देता है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को उनके प्रसार के लिए नहीं और जहां ऐसी छवि या कार्य प्रसारित किया जाता है, ऐसे प्रसार को इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा।

धारा 78: पीछा करना-

1) कोई भी व्यक्ति जो-

   i. किसी महिला का पीछा करता है और उस महिला से संपर्क करता है, या उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से माना करने के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए बार-बार उस महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है; या

   ii. किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग पर नजर रखता है, पीछा करने का अपराध करता है।

   परन्तु ऐसा आचरण पीछा करने के बराबर नहीं माना जाएगा यदि पीछा करने वाला व्यक्ति यह साबित कर दे कि-

   i. यह अपराध को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था और पीछा करने के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा अपराध को रोकने और पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी; या

   ii. यह किसी कानून के तहत या किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई किसी शर्त या आवश्यकता का पालन करने के लिए किया गया था; या

   iii. विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण उचित एवं न्यायोचित था।

(2) जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा, वह पहली बार ऐसा करने पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और दूसरी बार दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

3. विवाह संबंधी अपराध

धारा 83: बिना विवाह के कपट पूर्वक विवाह कर्म कर देना , इसमें 7 साल तक का कारावास होगी।

धारा 86: पत्नी के साथ क्रूरता – घरेलू हिंसा से जुड़ी धारा। भारतीय न्याय सहित की धारा 86 के अनुसार, क्रूरता का अर्थ है:

- अनिच्छित आचरण: ऐसा आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर नुकसान या खतरा पहुंचा सकता है।
- उत्पीड़न: महिला को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उत्पीड़न, या मांग पूरी न करने पर उत्पीड़न।

महिला के प्रति क्रूरता

- शारीरिक क्रूरता: पति द्वारा पत्नी को मारना-पीटना, जिससे उसे चोटें लगती हैं।
- मानसिक क्रूरता: पति द्वारा पत्नी को अपमानित करना, जिससे उसे मानसिक पीड़ा होती है।
- आर्थिक क्रूरता: पति द्वारा पत्नी को वित्तीय संसाधनों से वंचित करना, जिससे उसे आर्थिक परेशानी होती है।

क्रूरता के मामलों में महिला की सुरक्षा और समर्थन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत, यदि पति या उसके रिश्तेदार महिला के साथ क्रूरता करते हैं, तो उन्हें 3 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

4. मानव तस्करी व वेश्यावृत्ति से संबंधित अपराध

धारा 143 मानव तस्करी

(1) जो कोई शोषण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहन करता है, आश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या प्राप्त करता है, -

(क) धमकी देकर; या

(ख) बल प्रयोग, या किसी अन्य प्रकार का दबाव डालना; या

(ग) अपहरण द्वारा; या

(घ) धोखाधड़ी या छल करके; या

(ई) शक्ति का दुरुपयोग करके; या

(च) भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरित या प्राप्त व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित प्रलोभन द्वारा, तस्करी का अपराध करता है।

अपराध का प्रकार	दंड
सामान्य दुर्व्यापार (Trafficking)	कठोर कारावास: न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष तक + जुर्माना
यदि दुर्व्यापार में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों	कठोर कारावास: न्यूनतम 10 वर्ष, आजीवन कारावास तक + जुर्माना
यदि दुर्व्यापार में किसी बालक को शामिल किया गया हो	कठोर कारावास: न्यूनतम 10 वर्ष, आजीवन कारावास तक + जुर्माना
यदि दुर्व्यापार में एक से अधिक बालकों को शामिल किया गया हो	कठोर कारावास: न्यूनतम 14 वर्ष, आजीवन कारावास तक + जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति पुनः बालक के दुर्व्यापार के अपराध में दोषी पाया जाए	आजीवन कारावास: अर्थात् शेष जीवनकाल तक कारावास + जुर्माना
यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी दुर्व्यापार में संलिप्त पाया जाए	आजीवन कारावास: अर्थात् शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास + जुर्माना

धारा 144: अवैध व्यापार किये गये व्यक्ति का शोषण।

(1) जो कोई यह जानता है या ऐसा मानने का कारण रखता है कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है, और वह ऐसे बालक को किसी भी प्रकार से लैंगिक शोषण के लिए रखता है, तो वह दोषी माना जाएगा। उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, यह सजा 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

(2) जो कोई व्यक्ति यह जानता है या ऐसा मानने का कारण रखता है कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, और फिर भी उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के यौन शोषण के लिए रखता है,
तो उसे कम से कम 3 साल का कठोर कारावास होगा, जो अधिकतम 7 साल तक बढ़ सकता है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा।

धारा 145: दासों का आदतन लेन-देन।

जो कोई भी आदतन दासों का आयात, निर्यात, स्थानांतरण, क्रय, विक्रय, तस्करी या सौदा करता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण

- शोषण; शब्द में शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, गुलामी या गुलामी, दासता, भिक्षावृत्ति या अंगों को जबरन निकालने जैसी प्रथाएं शामिल होंगी।
- दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सहमति महत्वहीन है।

धारा 146: अवैध अनिवार्य श्रम।

जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रुप से श्रम करने के लिए विवश करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महिलाओं से संबंधित विशेष प्रावधान

- महिला की गिरफ्तारी संबंधी नियम (धारा 43): सामान्यतः किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
- यदि कोई अपवादात्मक स्थिति हो, तो महिला पुलिस अधिकारी को पहले एक लिखित रिपोर्ट बनानी होगी और उस क्षेत्र के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेनी होगी, जहाँ अपराध हुआ है या जहाँ गिरफ्तारी होनी
- गोपनीयता की रक्षा: बलात्कार या यौन अपराध की पीड़िता का नाम, पहचान या फोटो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित दोनो में यह प्रावधान है।
- जांच की प्रक्रिया: महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज करना अनिवार्य है।
  पीड़िता की मेडिकल जांच केवल महिला डॉक्टर द्वारा (जहाँ संभव हो)।
  महिलाओं के लिए न्याय विधियों को सरल और उत्कृष्ट बनाया गया है।

पंचायत की भूमिका

- जागरुकता अभियान: पंचायतें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD), पुलिस तथा दलसा (DALSA) जैसे संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी अभियान चला सकती हैं।
- पंचायतें महिलाओं को न्यायिक और कानूनी सेवाओं से जोड़ने का कार्य कर सकती हैं, ताकि वे आवश्यक सलाह और सहायता प्राप्त कर सकें।
- पंचायतें सार्वजनिक स्थलों पर उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान विकसित करने और सामुदायिक निगरानी बढ़ाने जैसे सुरक्षा उपायों को प्रभावी रुप से लागू कर सकती हैं।
- शिकायत निवारण तंत्र: पंचायत स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान निकालने के लिए मजबूत और विश्वसनीय शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया जा सकता है।
- कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन: पंचायतें सुनिश्चित करें कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित नियमों और कानूनों का प्रभावी रुप से पालन हो तथा संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर उचित कार्यवाही हो।

कार्यालय
ग्राम पंचायत टिकरिया ज.पं. बीजाडांडी
उपरजिस्ट्रार
जन्म-मृत्यु पंजीयन
सरपंच
सचिव
सूचना पटल

नोट्स

नोट्स

Transform Rural India